न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA133 Munharam etc Vs Rewatram etc

1. मूणाराम पुत्र हेमाराम जाट
2. चुनाराम पुत्र हेमाराम जाट
3. जेताराम पुत्र हेमाराम जाट

निवासीगण ग्राम देणोक, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. रेवतराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी बरसिंगों का बास, देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
2. आईदानराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी बरसिंगों का बास, देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. लादूराम पुत्र सूरजाराम मेघवाल, निवासी ग्राम देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. देवाराम पुत्र सूरजाराम मेघवाल, निवासी ग्राम देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार लोहावट

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 07 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 151/2014 आईदानराम बनाम रेंवतराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रणजीतसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जितेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक, तीन एवं चार
श्री सी.पी. चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पॉच

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 30 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 151/2014 आईदानराम बनाम रेंवतराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मई 2018 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या दो आईदानराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम देणोक स्थित आराजी खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या दो आईदानराम (17बीघा 02 बिस्वा), प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक रेवंतराम (17 बीघा 01 बिस्वा), तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या तीन एवं चार कमशः लादूराम व देवाराम (संयुक्त रूप से 28 बीघा) सहखातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की होना, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक रेंवतराम द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स मूणाराम, चूनाराम एवं जेताराम पिसरान हेमाराम को कर दिया जाना जाहिर करते हुए स्वयं को वादग्रस्त खसरा संख्या 239 कुल रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा में से 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में वादी-रेस्पो. संख्या दो को सुनवाई का अवसर दिये बिना व मौके की जॉच किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1421 निरस्त करते हुए वादी-रेस्पो. संख्या दो आईदानराम के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की डिकी जारी किये जाने का अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद 31 दिसम्बर 2014 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक, तीन व चार अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18 फरवरी 2015 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित किये गये। अन्य प्रतिवादीगण को जबाबदावा पेश करने हेतु समुचित अवसर अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। जबाबदावे के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी विवाघक की रचना नहीं की गयी और उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मई 2018 को वादी-रेस्पो. संख्या दो का दावा स्वीकार कर लिया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने रेस्पो. संख्या एक से उसके पारिवारिक सेटलमेण्ट के जरिये हिस्से में आयी भूमि दिनांक 20 दिसम्बर 1971 को विधिवत कय कर कब्जा प्राप्त किया है, रेस्पो. संख्या दो की नियत में बदनियती आ गयी है, जो फेमिली सेटलमेण्ट से मुकर रहा है। सन् 1971 के पहले ही फेमिली सेटलमेण्ट हो चुका था, जिसके अनुसार खसरा संख्या 239 कुल रकबा 68 बीघा 03 बिस्वा में से 34 बीघा भूमि रेस्पो. संख्या एक के हिस्से में आयी, उसी का रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाण्ट्स के पक्ष में बेचान किया। रेस्पो. संख्या दो ने अन्य खसरान

में कीमती जमीन लेकर खंसरा संख्या 239 में अपने हिस्से की भूमि का रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में त्याग कर दिया था। ऐसी स्थिति में अब रेस्पो. संख्या दो को इस बाबत किसी प्रकार का कोई उज्र-एतराज करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि रेस्पो. संख्या दो ने 1971 के बाद करीब 43 साल की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद वर्ष 2014 में दावा पेश किया, जो अत्याधिक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद मात्र लालचवश दावा पेश किया है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री सरसरी तौर पर पारित किये गये है, निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को विवाधकों की रचना की जाकर साक्ष्य सबूत लेकर समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया, अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को वादी-पक्ष के गवाहान से जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जो पंजीबद्ध विकय विलेख अपीलाण्ट्स के पक्ष में रेस्पो. संख्या एक द्वारा निष्पादित किया गया है, जब तक विधिवत सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त नहीं कराया जाता, तब तक उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात को राजस्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पंजीबद्ध विकय विलेख की वैधता के संबंध में किसी प्रकार की जॉच का क्षेत्राधिकार मांत्र सिविल न्यायालय को ही उपलब्ध है। अंत में मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि मामले में सभी अपीलाण्ट्स की ओर से प्रकरण की देखभाल कर रहे अपीलाण्ट संख्या दो जेताराम सिकन एवं मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है और बीमारी की गम्भीरता बढ जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ यथोचित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाये। दिनांक 22 अगस्त 2018 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलौच्य अपील मय चिकित्सा संबधी कागजात एवं प्रार्थनापत्र. अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. संख्या दो की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा में रेस्पो. संख्या एक व दो के संयुक्त हिस्से में 34 बीघा भूमि थी, मगर रेस्पो. संख्या एक ने अपने तन्हा हिस्से के साथ ही साथ रेस्पो. संख्या दो के हिस्से की भूमि भी रेस्पो. संख्या दो की जानकारी के बिना ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 20 दिसम्बर 1978 को बेचान कर दी, किन्तु विकेता स्वयं को रेस्पो. संख्या दो के हिस्से की भूमि बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त बेचाननामा प्रारम्भ से ही शून्यप्रभावी एवं नलिटी है और इस कारण उसे औपचारिक तौर पर निरस्त करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने यह भी कथन किया कि उक्त बेचाननामा के जरिये रेस्पो. संख्या दो का हिस्सा विकय करने के पूर्व रेस्पो. संख्या एक ने न तो रेस्पो. संख्या दो से किसी प्रकार की सहमति या मुख्तयारनामा ही लिया है। उक्त बेचाननामा सही नहीं होने के कारण उसके निष्पादन के करीब 28 साल बाद दिनांक 18 सितम्बर 2006 को सरपंच ग्राम पंचायत देणोक द्वारा रेस्पो. संख्या दो की जानकारी के बिना म्युटेशन संख्या 1421 स्वीकृत किया गया जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या दो ने चाराजोई की, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 7 मई 2018 को निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए म्युटेशन संख्या 1421 निरस्ती के आदेश दिये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार बापिणी द्वारा उक्त म्युटेशन रेस्पो. संख्या दो का हिस्सा बेचान नहीं होने के आधार पर निरस्त किया गया एवं उक्त म्युटेशन के बाद खोले गये बंटवारे के ग्राम देणोक के म्युटेशन संख्या 1499 को भी निरस्त करते हुए ग्राम उदयनगर के म्युटेशन संख्या 262 के जरिये राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. संख्या दो के नाम अमल दरामद कर दिया गया अर्थात अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का कियान्वयन हो चुका है। अपीलाण्ट्स ने रेस्पो. संख्या एक व दो के मध्य फेमिली अरेजमेण्ट होने का तथ्य सरासर गलत अंकित किया है, किसी प्रकार का कोई फेमिली अरेजमेण्ट नहीं हुआ है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने आलोच्य अपील सारहीन एवं मियाद-बाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर जाहिर किया गया कि अपीलाण्ट्स की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क करना, निर्देशानुसार अन्य कार्यवाही करना आदि कार्य अपीलाण्ट संख्या दो जेताराम द्वारा ही किया जाता रहा है, जेताराम स्किन एवं मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के समय उसकी बीमारी की तीव्रता अधिक होने के कारण निर्धारित समय सीमा में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस संबंध में उक्त प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

के साथ जो चिकित्सकीय पर्चियॉ प्रस्तुत की गयी है, उनका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर बाह्य रोगी उपचार पत्र (नाम रोगी जेताराम पुत्र हेमाराम आयु 49 वर्ष) दिनांक 15 फरवरी 2018, दिनांक 06 मार्च 2018, दिनांक 17 अप्रेल 2018, दिनांक 17 मई 2018, दिनांक 23 जून 2018 एवं दिनांक 30 जुलाई 2018, से अपीलाण्ट्स के कथनों को समर्थन मिलता है। अपील-मीमों एवं प्रार्थनापत्र तथा शपथपत्रों आदि पर भी अपीलाण्ट जेताराम का ही अंगुष्ठ-निशान है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायहित में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाकर इसे गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना बेहतर है।

अपील के गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि जमाबंदी ग्राम देणोक तहसील फलोदी संवत 2062-65 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार आईदानराम रेवन्तदान पिसरान देवाराम जाति जाट सा.बा.का बास लाधूराम देवाराम पि. सुरजन जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा भी वादग्रस्त खसरा संख्या 239 में रेस्पो. संख्या 2 का हक हिस्सा होने के संबंध में यही कहा गया है कि रेस्पो. संख्या दो ने अन्य खसरान में कीमती जमीन लेकर खसरा संख्या 239 में अपने हिस्से की भूमि का रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में त्याग कर दिया था। किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से इस अभिकथन की पुष्टि हेतु कोई **हकतर्कनामा या अन्य पारिवारिक सेटलमेण्ट संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।**

प्रतिवादी-रेस्पो. रेंवतराम पुत्र देवाराम द्वारा खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा भूमि में 34 बीघा भूमि के संबंध में अपीलाण्ट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20 दिसम्बर 1978 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस विक्रय विलेख में विक्रेता रेंवत राम ने रेवंतराम ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 239 में से 34 बीघा भूमि स्वयं को फेमिली एरेंजमेण्ट में प्राप्त होना जाहिर किया है, और बेचान की जा रही भूमि की हद-हदूद भी वर्णित किये है, मगर कथित फेमिली सेटलमेण्ट का कोई विवरण और लिखत उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के साथ नहीं रखी गयी है और **न ही वर्तमान अपील स्तर पर ऐसी कोई फेमिली अरेजमेण्ट की लिखत पेश की गयी है।** इतना ही नहीं, उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा में से 34 बीघा भू-भाग विशेष प्रतिवादी-रेस्पो. रेवंतराम स्वयं को फेमिली एजेंजमेण्ट में प्राप्त होना बताते हुए बेचा गया है, मगर **कोई औपचारिक बंटवारा पक्षकारान के मध्य होने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।** अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार पृथक-पृथक खसरों में दोनों की बराबर-बराबर खातेदारी भूमि दर्शायी गयी है।

इन परिस्थितियों एवं तथ्यों के मद्देनजर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 20 दिसम्बर 1978 वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 239 कुल रकबा 62 बीघा 03 बिस्वा में विक्रेता प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक रेवन्तराम के हिस्से से अधिक बेचान की गयी भूमि की सीमा तक प्रारम्भ से ही प्रभाव-शून्य एवं नलिटी होने से उसे औपचारिक तौर पर किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी और विधिवत तनकियात कायम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित नहीं किये गये है। जब वादी-पक्ष के वाद का खण्डन करते हुए कोई जबाब प्रतिवादी-पक्ष की ओर से पेश ही नहीं किया गया, तो वादपत्र में याचित अनुतोष स्वतः ही विवाधक हो जाता है और प्रस्तुत साक्ष्य-सबूत की कसौटी पर जॉच किया जाना अपेक्षित रहता है। दावे का मूल आधार "विकय विलेख" ही प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है तो उसके आगे की सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में उज्र उठाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अपीलाण्ट्स ने विकय विलेख निष्पादन के समय रेस्पो. संख्या 2 को बगैर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होते हुए भी बगैर उसे कोई सूचना/अवसर दिये, विकय विलेख से उसके हिस्से की भूमि भी बिना उसकी कोई सहमति के कय कर ली है तो वे अब प्राकतिक न्याय सिद्धान्त के संबंध में उसके हितों के प्रतिकूल कोई उज्र करने के अधिकारी नहीं रह जाते है। रेस्पो. संख्या दो के खातेदारी अधिकारों का अंतरण विधिक रूप से नहीं हुआ है इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य रहती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मई 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. मूणाराम पुत्र हेमाराम जाट 2. चुनाराम पुत्र हेमाराम जाट 3. जेताराम पुत्र हेमाराम जाट निवासीगण ग्राम देणोक, तहसील लोहावट जिला जोधपुर	ब ना म	1. रेवतराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी बरसिंगों का बास, देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 2. आईदानराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी बरसिंगों का बास, देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 3. लादूराम पुत्र सूरजाराम मेघवाल, निवासी ग्राम देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 4. देवाराम पुत्र सूरजाराम मेघवाल, निवासी ग्राम देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार लोहावट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 07 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 151/2014 आईदानराम बनाम रेंवतराम इत्यादि

----- 0 -----

यह अपील बतारीख 30 दिसम्बर, 2019 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह मिनजानिब अपीलाण्ट्स एंव अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. संख्या एक, तीन व चार, श्री सी.पी. चौधरी, अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. संख्या दो तथा श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. संख्या पांच समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मई 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ------ शून्य -------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---- शून्य ------ अदा करें।

बसत्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

30/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

30/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर